COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

(170)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल प्राधिकारी महोदय् ग्वालियर (म0प्र0)

प्र.क्र. / 2012–13 / ~~अ.मा.~~ निगरानी

R 4352 I / 12

श्री श्री कृ० तिवारी अभि०
द्वारा आज दि. 24-12-12 को
प्रस्तुत

24-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हरगोविन्द दुबे पुत्र रामलखन दुबे
निवासी मेला मार्ग महावीर गंज
भिण्ड (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती रामायणीदेपी पुत्री डिल्लीराम
पत्नी स्व. श्री राधाचरण शर्मा
निवासी चरथर, हाल निवास महावीरगंज
भिण्ड (म.प्र.)

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपरआयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्र. 162 / 11–12 / अपील–माल हरगोविन्द बनाम रामायणी मैं दिनांक 21.12.12 को पारित निर्णय के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व सहिता 1959–

श्रीमान् के समक्ष–

निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय् भिण्ड के समक्ष मुझ निगरानीकर्ता द्वारा वसीयत नामा के आधार पर वसीयतकर्ता डिल्लीराम के स्वामित्व के आराजी मौजा सिकाटा के आराजी क्र. 618 रकवा 0.27 / 626 रकवा 0.44 / 627 रकवा 0.11 / 1009 रकवा 0.04 / 1619 रकवा 0.22 कुल किता 5 कुल रकवा 1.08 हैक्टेयर एवं आराजी क्र. 1787 रकवा 3.34 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्र. 66 / 2010–11 / अ. 6 हरगोविन्द बनाम रामायणी के नाम से दर्ज होकर संचालित रहा जिसमें प्रति प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये तहसीलदार महोदय् भिण्ड द्वारा दिनांक 18.05.12 को आदेश पारित कर मुझ निगरानीकर्ता का नाम उक्त भूमि पर नामान्तरण कर दिया गया है।

2– यह कि प्रति प्रार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय् भिण्ड द्वारा दिनांक 18.05.12 को पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय् भिण्ड के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4352–एक /12 जिला –भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–05–17	आवेदक के अधिवक्ता को एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 2– अनावेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित होकर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। सदस्य	